निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 882) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
21 सितम्बर 2017
अधिसूचना सं०–24/2017–राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 183, दिनांक 21 सितम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उप–धारा (1), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5), एवं धारा 16 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; बिहार गजट में एस0ओ0 85 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 में निम्न संशोधन करते हैं :–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

3	4	5
``(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,– (क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो; (ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग–नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा (ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं	6	-
(vii) उपर्युक्त (i),(ii),(iii),(iv),(v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं	9	-".

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जी0एस0टी0 / विविध–20 / 2017–24)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस० ओ० 184, एस० ओ० 183, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जी0एस0टी0 / विविध–20 / 2017–24)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O 183, dated 21st Septembe 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11,sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017 published in Bihar gazette vide S.O No. 85 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of – (a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession; (b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or (c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.	6	-
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-".

2. This notification shall come into force with effect from 21st September, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-24)]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)882-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in